Research Officer (Communal Harmony Cell)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, अनुसंधान अधिकारी (साम्प्रदायिक सद्भाव सैल) भर्ती नियम, 1985 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम अनुसंधान अधिकारी (साम्प्रदायिक सद्भाव सैल), गृह मंत्रालय भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, अनुसंधान अधिकारी (साम्प्रदायिक सद्भाव सैल) भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान अधिकारी (साम्प्रदायिक सद्भाव सैल)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. तथा 4600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं । **नोट 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **नोट 2 :** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/समाज	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(8)
कार्य/मानव विज्ञान/सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य । (ii) राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों/अध्ययनों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण/संकलन तथा उससे संबंधित प्रतिवेदनों के प्रारूपण में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी 1 :** अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/अंतरण :—** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. तथा 4200 रु. ग्रेड वेतन या समतुल्य पे बैंड और ग्रेड पे वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायी किए जाने के संबंध में विचार करने के लिए) : 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव (साम्प्रदायिक सद्भाव सैल) —सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव (आंतरिक सुरक्षा प्रभाग) —सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य **नोट :** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति को स्थायी किए जाने से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । तथापि यदि, आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा. V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

1305 HA/11-5

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2011

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Research Officer (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 1985, namely :—

(1) These rules may be called the Research Officer (Communal Harmony Cell), Ministry of Home Affairs Recruitment (Amendments) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Research Officer (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 1985, for the Schedule the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-Selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Officer (Communal Harmony Cell)	01*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4600	Not Applicable	No	Not exceeding 30 years. **Note 1 :** Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Masters degree in Sociology/Social work/ Anthropology/Economics with Statistics from a recognized University or equivalent. (ii) Two years experience in Collection/Compilation and analysis of data relating to socio-economic surveys/studies having bearing on National Integration and Drafting of reports therewith.	Not applicable	Two years for direct recruits

(8)
ote 1 : Qualifications are relaxable at the scretion of the UPSC in case of candidates herwise well qualified. ote 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the UPSC, in ase of candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number f candidates from these communities possessing he requisite experience is not likely to be available fill up the vacancies reserved for them.

ethod of recruitment : Whether by direct recruitment r by promotion or by deputation/absorption nd percentage of the posts to be filled by arious methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
ransfer on Deputation/transfer failing which y direct recruitment.	**Transfer on Deputation/transfer :—** Officers under Central/State Government/Union Territories : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With five years regular service in posts in PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4200 or equivlent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organisation shall ordinarily not exceed 3 years.)

f a Departmental Promotion Committee exists, what is its omposition naking recruitment	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in
(13)	(14)
roup 'B' Departmental Promotion Committee (for considering f Confirmation) : 1. Joint Secretary (Admn.) —Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Communal Harmony Cell), —Member 3. Director/Deputy Secretary (Internal Security Division) —Member 4. Under Secretary (Administration), MHA —Member **ote :** The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating o confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for pproval. If however, these are not approved by the commission a fresh neeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over y the Chairman or a member of Union Public Service Commission shall e held.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. A/12018/01/2010-Ad. V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

1305 HA|11-6